

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/118/2018

अपीलार्थी:-

प्रत्यर्थी:-

श्री सुरेश चंद कौशिक, भगवती दुर्गा
मन्दिर, w.p. 437 वजीरपुर गांव,
अशोक विहार, नई दिल्ली-110052

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति
जिला निर्वाचन अधिकारी, अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- **13-11-2018**

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 16.07.18 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दुवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वाँछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 30.10.2018 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 11070 दिनांक 02.11.18 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा0पत्र0 दिनांक 16.07.18 इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ ऐसे में सूचना भी उपलब्ध नहीं करायी जा सकी थी। प्रथम अपील के नोटिस जारी होने पर उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 16.07.18 की जानकारी हुई, संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को पत्रांक 1177 दिनांक 31.10.18 से चाही गई सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।
6. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज **दिनांक 13.11.2018** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



प्रकाश राजपुरोहित
जिला कलक्टर अलवर
अलवर (राज०)